(d) if so, the details thereof and what action is contemplated against defaulting banks not complying with these instructions;

(e) whether the instructions, as referred to parts (a) and (c) above, are also applicable to various branches of State Bank of India in Delhi and Uttar Pradesh; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (d) Reserve Bank of India (RBI) have reported that on the basis of the recommendations of the Goiporia Committee on Customer Service they have advised all scheduled commercial banks in January, 1992 to display prominently in the banking hall time norms for specified business transactions. Complaints received from individual customers about non-adherence/non-display of time norms laid down are taken up with the banks concerned for necessary corrective action.

(e) and (f) The instructions of RBI issued in January, 1992 are applicable to State Bank of India also. According to information furnished by State Bank of India, the bank have laid down time norms for six types of transactions, namely, issuance of demand drafts, issuance of cheque books, receipt of cash, opening of account, encashment of cheques and encashment of drafts. All branches of State Bank of India including those in Delhi and in Uttar Pradesh are required to follow these instructions and also to display them in their banking halls.

बिहार में त्रिमुहानीघाट में बैंक की शाखाएं खोला जाना

3777. श्री सत्यप्रकाश मालविय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को ग्राम त्रिमुहानी-घाट, जिला दरभंगा (बिहार) में बैंक की शाखा खोलने जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो ऐसा अभ्यावेदन सर्वप्रथम कब दिया गया और किस व्यक्ति/एजेंसी ने यह अभ्यावेदन दिया;

(ख) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) इसके कब तक खोले जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या सरकार ने बैंक खोलने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक को दरभंगा जिले (बिहार) में ग्रामीण केन्द्र त्रिमुहानी-घाट में शाखा खोलने के वास्ते किसी बैंक से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(घ) 1990-95 की वर्तमान शाखा विस्तार नीति के तहत, अपने सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अन्तर्गत ग्रामीण केन्द्रों पर शाखा खोलने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों के संस्थागत वित्त निदेशालयों से विधिवत संस्तुत होते हैं, जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक गुण-दोषों के आधार पर विचार करता है ।

Withdrawal of Concessions to Small Scale Industries in Punjab

3778. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that highly labour intensive industries like steel manufacturing, yarn, hosiery, shawl making, foundry, soap making, card board, fan manufacturing etc. in Punjab have been adversely affected due to withdrawal of concessions to the small scale industries;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what steps are being taken by Government to save the interests of small scale in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) In the Budget 1994-95, excise duty exemption on certain items like shawls, soap made without the aid of power, card board boxes, woollen yarn, rerolled products of iron and steel etc. have been withdrawn. However, in terms of general SSI exemptions scheme, SSI units manufacturing specified goods are not required to pay excise duty for the

clearances upto Rs. 35 lakhs and subsequent clearances upto Rs. 75 lakhs have also been provided certain excise duty concessions. As more than 95% small and tiny units in the country are reportedly having a turnover of less than Rs. 30 lakhs, withdrawal of exemptions are not likely to affect such small scale units.

(c) Representations of trade and industry regarding the effect of the budgetary changes are being examined and wherever necessary, action will be taken to safeguard the interest of SSI sector. In respect of some items like shawl, handkerchiefs, footwears upto a value of Rs. 50 per pair, full exemption from excise duty has already been restored. In respect of certain spun yarns like woollen yarn, acrylic yarn, polypropelene spun yarn, narrow woven fabrics etc. the general small scale exemption has been extended.

पिछड़े राज्यों को राज-सहायता

3779. **श्री वीरेन जे० शाह :**
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में **पिछड़े** राज्यों में विकास की गति तेज करने के लिए सरकार द्वारा राज-सहायता के रूप में विशेष अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के **दौरान** उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, असम और **जम्मू और कश्मीर** को बजेटीय **आबंटनों** के **अतिरिक्त** कितनी-कितनी अतिरिक्त विशेष वित्तीय सहायता-राशी प्रदान की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा समान मानदंड न अपनाए जाने के कारण उपलब्ध कराई गई प्रतिव्यक्ति सहायता-राशि में अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के **दौरान** सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब और जम्मू और कश्मीर राज्य को पृथक-पृथक प्रति-व्यक्ति कितनी-कितनी सहायता-राशि उपलब्ध कराई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) केन्द्र की ओर से राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में वित्तीय सहायता योजना आयोग द्वारा राज्य **सरकारों** के साथ विचार-विमर्श के बाद किए गए **आबंटन तथा** सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के **पश्चात्** वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी की जाती है। केन्द्रीय सहायता तथा आबंटन योजना आयोग द्वारा पुनः संशोधित गाडगिल फार्मुला, जिसका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया गया था तथा जिसमें राज्य सरकारों का **प्रतिनिधित्व भी था**, के आधार पर किया जाता है। गाडगिल फार्मुले के तहत 15 गैर-विशेष श्रेणी राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आबंटन, कुल सहायता का लगभग 30 प्रतिशत 10 विशेष श्रेणी राज्यों को बांटने के **बाद कुछ वस्तुपरक** मानदण्डों पर आधारित होता है जिनमें जनसंख्या, प्रतिव्यक्ति आयकर प्रयास, राजकोषीय प्रबंध, विशेष समस्याएं आदि शामिल हैं।

इसी प्रकार, वित्त आयोग केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के अंतरण, जिनमें केन्द्रीय कर (जैसे आयकर, उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क) में हिस्सा, रेल **यात्री भाड़े** पर कर के बदले अनुदान, राजस्व घाटा अनुदान आदि शामिल है, के लिए भी सभी राज्य सरकारों से प्राप्त ज्ञापनों पर विचार करने तथा इस मामले पर उनके साथ विचार-विमर्श करने के बाद सिफारिश करता है। ये सिफारिशें वित्त आयोग द्वारा बनाए गए कुछ मानदण्डों के आधार पर की जाती हैं। चूंकि राज्य सरकारों के विभिन्न आर्थिक और सामाजिक सूचक एक दुसरे के साथ मेल नहीं खाते, अतः राज्यों के बीच प्रतिव्यक्ति केन्द्रीय सहायता में भिन्नता आई है; हालांकि इसमें एक ही मानदण्ड अपनाया गया है।

जहां तक वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत केन्द्र से राज्यों को अंतरण का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि हालांकि सभी राज्यों के संबंध में समान मानदण्ड अपनाया जाता है फिर भी आर्थिक और सामाजिक सूचकों (जिन पर ये मानदण्ड लागू होते हैं) में परिवर्तनों के कारण प्रतिव्यक्ति अंतरण के आंकड़े राज्यों के बीच अलगअलग हो गए हैं।

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित चार राज्यों को जारी की गई प्रति-व्यक्ति सहायता (केन्द्रीय करों में हिस्सा और रेल यात्री भाड़ा कर के बदले अनुदान को छोड़कर योजनागत और योजना-भिन्न दोनों सहायता) के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता

(रुपये में)

	1991-92	1992-93	1993-94
असम	457.57	481.52	562.87
जम्मू और कश्मीर	1268.13	1390.32	1697.52
पंजाब	511.83	505.93	718.49
उत्तर प्रदेश	245.20	247.14	228.04